तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25 06/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० प्रतिवादी सं. 1 लगा० 6, 8 की तलबी जरिये Reg. समन दिनांक 18/01/2025 को की गई एवं प्रतिवादी 7/6 की तलबी दिनांक 11/04/2025 को की गई। प्रतिवादी सं. 1 लगा० 6 एवं 8 का लिफाफा वापस प्राप्त हुआ, जिन्होंने लेने से इंकार है। प्रतिवादी सं. 1 लगा० 6, 8, 7/6 की एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वास्ते जवाब प्रतिवादी 9 दिनांक 02/07/2025 को पत्रावली पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
02 07/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। प्रतिवादी सं. 9 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अतः जवाब बंद किया जाता है वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 14/07/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
14 7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 16/7/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
16 7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तकरण अपील से सम्बन्धित वाद खैराती बनाम अनील दावा

रीख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मु० नं० 164/2024 न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। प्रार्थी प्रा० पत्र नामान्तकरण अपील को साबित करने मे असफल रहे। इसलिए प्रा० पत्र नामान्तकरण अपील को चलाये जाने का कोई औचित्य नही है। अत: प्रा० पत्र अपील नामान्तकरण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। प्रकरण फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16/7/25 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

16.07.25

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

मुकदमा संख्या–10/2024

1. खैराती पुत्र मूल्या उम्र 69 वर्ष जाति बैरवा निवासी सुनगाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

–: अपीलाण्ट

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र गोपाल
2. अंजू पुत्री गोपाल
3. रेखा पुत्री गोपाल
4. राजन्ती पत्नी गोपाल
5. शेरसिंह पुत्र हट्टीलाल
6. रघुवीर पुत्र हट्टीलाल
7. लाला पुत्र रेवड़या

7/1 किशनी पत्नी लालाराम

7/2 दुर्गालाल पत्नी लालाराम

7/3 चिरंजीलाल पत्नी लालाराम

7/4 रामस्वरूप पुत्र लालाराम

7/5 रामचन्दर पुत्र लालाराम

7/6 गुड्डी पत्नि देवीसहाय जाति बैरवा निवासी पीचूपाडा खुर्द (आई.टी.केन्द्र के पीछे)

7/7 नत्थो पत्नि पूरण जाति बैरवा निवासी भंडारी तहसील सिकन्दरा

8. कमली पत्नी बाबूलाल

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम सुनगाड़ी तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

9. सरपंच हाल ग्राम पंचायत पामाड़ी पंचायत समिति बांदीकुई।

–: रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तरण सं. 55 दिनांक 18.03.1971

ग्राम पंचायत ऊनबडागाँव पंचायत समिति बांदीकुई

निर्णय दिनांक –16.07.2025

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक अपील प्रार्थना पत्र विरूद्व नामान्तरण सं0 55 दिनांक 18.03.1971 ग्राम पंचायत उनबडागॉव अपीलांटी द्वारा जरिये वकील श्री नवीन कुमार गुर्जर ने दिनांक 25.11.2024 को पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान का सिजरा खानदान निम्न है।

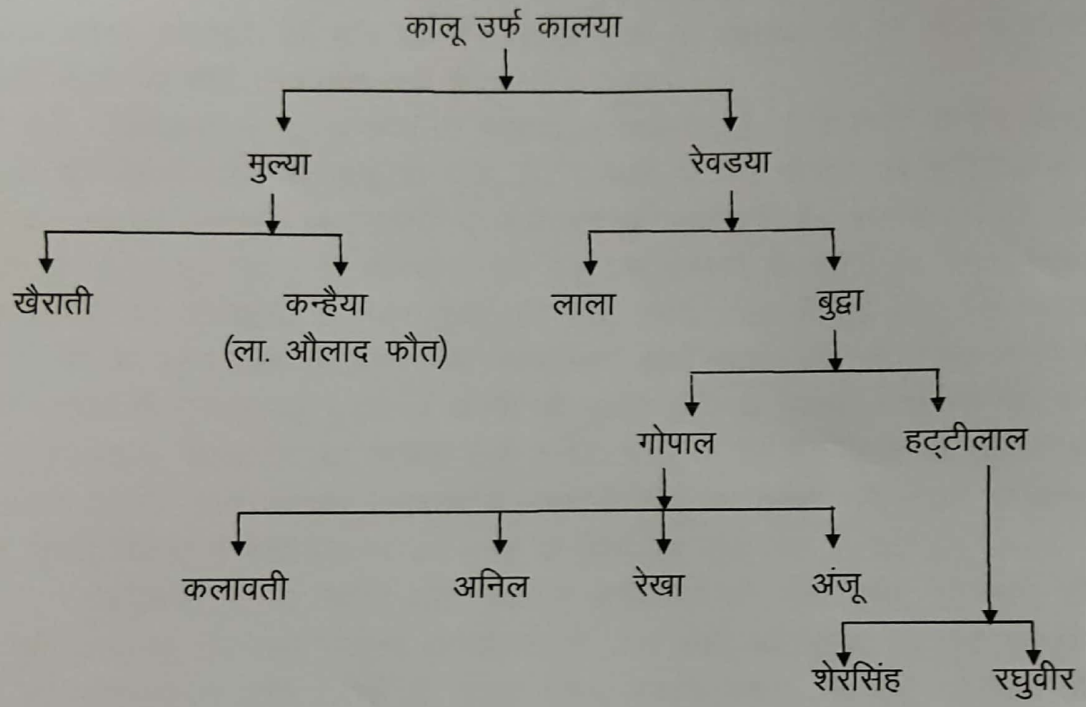

अपीलाण्ट के पिता मूल्या की स्वअर्जित संपति वाके ग्राम सुनगाड़ी पटवार हल्का ऊनबडागाँव के खाता सं. नया 95 पुराना 44 के आराजी खसरा नं. 28 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा नं. 42/670 रकबा 0.0400 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर स्थित है एवं खाता सं. नया 96 पुराना 45 के आराजी खसरा नं. 27 रकबा 0.0400 हैक्टेयर तथा खाता सं. नया 115 पुराना 95 के आराजी खसरा नं. 703/24 रकबा 0.3500 हैक्टेयर एवं खाता सं. नया 82 पुराना 82 के आराजी खसरा नं. 29 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नं. 30 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नं. 704/24 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नं. 76 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नं. 78 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, कुल किता 05 कुल रकबा 0.8400 हैक्टेयर, तथा खाता सं. नया 14 पुराना 14 के आराजी खसरा नं. 25 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नं. 26 रकबा 0.4300 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.7800 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त भूमि में खसरा नं. 24, 25 के साबिका खसरा नं. 468 मिन तया खसरा नं. 26 के

Scanned with OKEN Scanner

साबिक नम्बर 469 मिन, 476 मिन तथा खसरा नं. 27 के साबिका नम्बर 475, खसरा नं. 28 के साबिका नम्बर 470 मिन, खसरा नं. 29 एवं 30 के साबिक नम्बर 471 मिन, खसरा नं. 42/670 के साबिक नम्बर 473 रहे है।

अपील के पैरा सं. 02 में वर्णित भूमि वादग्रस्त अपीलाण्ट के पिता मूल्या की स्वअर्जित सम्पत्ति रही है। अपीलाण्ट का वर्तमान गाँव सुनगाड़ी पहले ग्राम पामाडी का ही भाग था। बाद में अलग राजस्व गांव सुनगाड़ी बना है। भूमि वादग्रस्त बजमाने बुजुर्गान अपीलाण्ट की कब्जे काश्त, खातेदारी की भूमि रही है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 लगायत 08 का भूमि वादग्रस्त से किसी प्रकार का कोई लेना–देना नही है।

रेस्पोडेन्ट सं. 01 लगायत 07 रेवड्या के वारिसान है। रेवड्या के दो पुत्र लाला एवं बुद्धा थे। जिनमे बुद्धा की मृत्यु हो चुकी है। जिसके दो पुत्र गोपाल एवं हट्टीलाल थे। रेस्पोडेन्टस सं. 01 लगायत 06 गोपाल व हट्टीलाल के वारिसान है। रेस्पोडेन्टस सं. 01 लगायत 07 मूल्या पुत्र कालू के वारिसान नही है। इस सम्बन्ध में जागा का बनाया गया सिजरा संलग्न है। अपीलाण्ट ने पिता मूल्या की मृत्यु संवत 2022 में हुई थी। उस समय अपीलाण्ट की उम्र 4–5 साल के लगभग थी। अपीलाण्ट अपने पिता मूल्या की अस्थि विर्सजन के लिए रेवड्या के पुत्र लाला, बुद्धा एवं अपनी माँ सुंदरी के साथ गंगाजी गया था वहां भी पण्डा के रजिस्टरमें पक्षकारान का सिजरा दर्ज कराया गया था उसकी नकल भी अपील के साथ संलग्न है तथा ग्राम पंचायत ऊनबडगाँव सुनगाडी गाँव का यूनिट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर अधिकृत खुदरा विक्रेता में रेस्पोडेन्ट सं. 07 लाला के पिता का नाम रेवड ही दर्ज है।

रेस्पोडेन्ट सं. 07 लाला और बुद्धा ने अपीलाण्ट के पिता मूल्या की मृत्यु के पश्चात् भूमि वादग्रस्त का नामान्तकरण अपीलाण्ट के साथ स्वयं को मूल्या का पुत्र बताकर विरासत का नामान्तकरण अवैध तरीके से खुलवा लिया, जबकि लाला और बुद्धा तो रेवड के पुत्र थे। लाला और बुद्धा ने विधि विरूद्ध तरीके से ग्राम पंचायत सरपंच से सांठ–गाँठ करके स्वयं को मूल्या का पुत्र बताकर अपीलाण्ट के पिता की सम्पत्ति को स्वयं के नाम करवा ली। जिसका उन्हे कोई हक, अधिकार नही था। ग्राम पंचायत द्वारा मूल्या की विरासत का नामान्तकरण संख्या 55 दिनांक 18.03.1971 विधि विरूद्ध होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है। निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट भूमि वादग्रस्त जो कि अपीलाण्ट के पिता मूल्या की स्वअर्जित संपति है, में रेस्पोडेन्टस के नाम गलत तौर पर नामान्तरण स्वीकृत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

अपील अपीलाण्ट पेशकर अर्ज है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकण सं. 55 दिनांक 18.03.1971 ग्राम पामाड़ी, हाल गाँव सुनगाड़ी को निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलाण्ट के पिता मूल्या की विरासत का नामान्तकरण अपीलाण्ट के नाम स्वीकृत किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलवी रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस करवाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से एडवोकेट श्री महेश चंद धन्धेल ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 7/1 लगा0 7/5, 7/7 की ओर से एडवोकेट श्री महेश चंद धन्धेल ने पावर पेश की।

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 6, 8, 7/6 की एक पक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 के वारिसान की ओर से जवाब पेश किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 द्वारा कोई जवाब पेश नही किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 के वारिसान की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान गलत पेश किया गया है। रेस्पोडेन्ट मूल्या के पौत्र है रेवडया के पौत्र नही है। रेस्पोडेन्ट के दादा मूल्या है रेस्पोडेन्ट के शैक्षणिक एवं समस्त दस्तावेजो में पिता का नाम मूल्या अंकन है। मूल्या जो कि रेस्पोडेन्ट के अपील में उनके पुत्र अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट होने से भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वैध वारिसान होने से विरासत का नामान्तकरण दिनांक 18.03.1971 को खुल गया है एवं भूमि पर काबिज अपने अपने हिस्से पर रहे है व सम्वत 2067 में अपीलान्ट स्वंय ने रेस्पोडेन्ट के पिता का सगा भाई मानकर भूमि की सहमति से बंटवारानामा कर दिया जिस पर रेस्पोडेन्ट काबिज व काश्त कर लाभान्वित है एवं अलग अलग खाता खुल चुका है जिसकी कोई अपील प्रस्तुत नहीं कि है यह अपील मियाद बाहर है और पोषणीय नहीं है। अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट के मध्य आबादी भूमि को लेकर विवाद उत्पन्न होने पर अपीलान्ट के मन में बेईमानी आने पर गलत तरीके से रेस्पोडेन्ट कि जमीन को हडपने कि नियत से व रेस्पोडेन्ट के परेशान करने की नियत से अपील गलत तथ्यों पर व फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपील प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट का अलग खाता अपीलान्ट कि सहमति से खुलने से अपीलान्ट को अपील का कोई अधिकार नहीं बचा है ऐसी स्थिति में अपील मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाई जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 द्वारा कोई जवाब पेश नही किया गया। प्रकरण वास्ते बहस नियत किया गया।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट सं. 07 लाला और बुद्धा ने अपीलाण्ट के पिता मूल्या की मृत्यु के पश्चात् भूमि वादग्रस्त का नामान्तकरण अपीलाण्ट के साथ स्वयं को मूल्या का पुत्र बताकर विरासत का नामान्तकरण अवैध तरीके से खुलवा लिया, जबकि लाला और बुद्धा तो रेवड के पुत्र थे। लाला और बुद्धा ने विधि विरूद्ध तरीके से ग्राम पंचायत सरपंच से सांठ–गाँठ करके स्वयं को मूल्या का पुत्र बताकर अपीलाण्ट के पिता की सम्पत्ति को स्वयं के नाम करवा ली। जिसका उन्हे कोई हक, अधिकार नही था। ग्राम पंचायत द्वारा मूल्या की विरासत का नामान्तकरण संख्या 55 दिनांक 18.03.1971 विधि विरूद्ध होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है। निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट भूमि वादग्रस्त जो कि अपीलाण्ट के पिता मूल्या की स्वअर्जित संपति है, में रेस्पोडेन्टस के नाम गलत तौर पर नामान्तरण स्वीकृत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकण सं. 55 दिनांक 18.03.1971 ग्राम पामाड़ी, हाल गाँव सुनगाड़ी को निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलाण्ट के पिता मूल्या की विरासत का नामान्तकरण अपीलाण्ट के नाम स्वीकृत किये जाने के आदेश फरमाया जावें। रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान गलत पेश किया गया है। रेस्पोडेन्ट मूल्या के पौत्र है रेवडया के पौत्र नही है। रेस्पोडेन्ट के दादा मूल्या है रेस्पोडेन्ट के शैक्षणिक एवं समस्त दस्तावेजो में पिता का नाम मूल्या अंकन है। मूल्या जो कि रेस्पोडेन्ट के अपील में उनके पुत्र अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट होने से भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वैध

Scanned with OKEN Scanner

काश्तकार होने से विरासत का नामान्तकरण दिनांक 18.03.1971 को खुल गया है एवं भूमि पर काबिज अपने अपने हिस्से पर रहे है व सम्वत 2067 में अपीलान्ट स्वंय ने रेस्पोडेन्ट के पिता का सगा भाई मानकर भूमि की सहमति से बंटवारानामा कर दिया जिस पर रेस्पोडेन्ट काबिज व काश्त कर लाभान्वित है एवं अलग अलग खाता खुल चुका है जिसकी कोई अपील प्रस्तुत नहीं कि है यह अपील मियाद बाहर है और पोषणीय नहीं है। अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट के मध्य आबादी भूमि को लेकर विवाद उत्पन्न होने पर अपीलान्ट के मन में बेईमानी आने पर गलत तरीके से रेस्पोडेन्ट कि जमीन को हडपने कि नियत से व रेस्पोडेन्ट के परेशान करने की नियत से अपील गलत तथ्यों पर व फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपील प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट का अलग खाता अपीलान्ट कि सहमति से खुलने से अपीलान्ट को अपील का कोई अधिकार नहीं बचा है ऐसी स्थिति में अपील नामान्तकरण खारिज फरमाई जावें। बहस उपभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेज एवं राजस्व रिकार्ड कें आधार पर प्रार्थना पत्र अपील नामान्तरण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र अपील नामान्तरण खारिज किया जाता है। प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

16/7/25

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई